कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद बलिया।

OFFICE OF THE CHIEF FIRE OFFICER, BALLIA

संख्या –सी0एफ0ओ0/नि0/2019 दिनांक- अप्रैल , 2019

सेवा में ,

कुल सचिव,
जननायक चंद्र शेखर विश्वविद्यालय,
जनपद बलिया

विषय- महाविद्यालयों व आप के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शैक्षिक संस्थान में अग्नि सुरक्षा / जीव रक्षा व्यवस्था को सुदृढ किये जाने के सम्बंध में।

संदर्भ-मा0 उच्च न्यायालय में योचित रिट याचिका संख्या-5696 (एम0बी0) गोमती नगर जन कण्याण समिति बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08/09/2006 ,मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्षैशिक संस्थानों में यात्रा करने वाले वाहनों में अग्नि सुरक्षा व जीव रक्षा सम्बंधित निर्देश तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या-483/2004 दिनांक 13/04/2009 में पारित आदेश तथा दिनांक 09/12/2011, के परिपेक्ष्य में जारी शासन व फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के आदेश व निर्देश।

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्र व निर्देश का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके अनुपालन में मेरे द्वारा अग्नि सुरक्षा / जीव रक्षा के दृष्टि से सतर्क भ्रमणशीलता के दौरान देखा गया है कि उपरोक्त संदर्भित मा0 न्यायालय व शासनादेश के क्रम में कुछ शैक्षिक संस्थाओ द्वारा न तो भवन का निर्माण नियमानुसार कराया गया है न ही स्थाई / अस्थाई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की गयी है जिससे एक तरफ जहा मा0 न्यायालय के आदेशो की अवमानना हो रही है वही दूसरी तरफ अग्निसुरक्षा / जीव रक्षा व्यवस्था प्रभावित होने के साथ साथ विगत दिनो कुम्भकोणम विद्यालय में हुए अग्नि काण्ड जैसी भीषण धटना की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता है।जबकि मा0 उच्च न्यायालय में योचित संख्या-5696(एम0बी0) में पारित आदेश दिनांक 08/09/2006 में स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि ''NO BUILDING PLAN SHALL BE SANCTIONED WITHOUT A CERTIFICATE OF AN OFFICER OF THE FIRE DEPARTMENT ,NOT BELOW THE RANK OF CHIEF FIRE OFFICER ,WHICH EITHER HAS TO BE ACCOMPANIED OR PRODUCED, BEFORE THE BUILDING PLAN ARE CONSIDERED FOR BEING SANCTIONED BY THE PARISAD ,DEVELOPMENT AUTHORITIES,CHIEF FIRE OFFICER OR ANY OFFICER ,HIGHER IN RANK WHILE ISSUING THE '' NO OBJECTION CERTIFICATE ''SHALL IN BRIEF RECORD THE SAFETY MEASURES AS PROPOSED AND HIS SATISFACTION THAT THEY ARE SUFFICIENT AS PER THE NORMS,THIS REQUIREMENT OF THE CERTIFICATE FROM THE FIRE DEPARTMENT WOULD NOT IN ANY WAY BE TAKEN TO MEAN THAT WE HAVE DISPENSED AWAY WITH THE RESPONSIBILITY OF THE ENTITY AUTHORIZED UNDER THE ACT TO HAVE THERE OWN SATISFACTION AND GIVE THE

Scanned with CamScanner

REQUIRED CERTIFICATE BUT IN THE ABSENCE OF CERTIFICATE FROM THE FIRE DEPARTMENT ,THE BUILDING PLANS SHALL NOT BE SANCTIONED" यह भी निर्देशित है कि भवन निर्माण अग्नि सुरक्षा / जीव रक्षा के दृष्टि कोण से नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में दिये गये मानकों के अनुरूप ही निर्माण किया जाय। उक्त के अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि शैक्षिक संस्थान द्वारा आप के विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करते समय नियम विरूद्ध व कुटरचित तरीके से अग्निशमन प्रमाण-पत्र पत्रावली पर लगा कर सम्बद्धता / मान्यता प्राप्त कर ली गयी है जो काफी सम्वेदनशील / चिंताजनक विषय है जिसको देखते हुए शैक्षिक संस्थानो द्वारा आप के कार्यालय को दिये गये प्रमाण पत्रो का प्रति सत्यापन कराया जाना नितांत आवश्यक है।

अतः आप से अनुरोध है कि अपने स्तर से सम्बंधित को निर्देशित करने की कृपा करे कि शैक्षिक संस्थानो का नाम व पूर्ण पता तथा उसके द्वारा आप के कार्यालय को प्रदत्त अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा करे जिससे अग्नि सुरक्षा / जीव रक्षा सुदृढ करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा सके।साथ ही यदि सम्भव हो तो सम्बंधित को निर्देशित करने की कृपा करे कि शैक्षिक संस्थान भवन निर्माण से पूर्व मानचित्र अग्निशमन विभाग से अनुमोदित कराते हुए भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरांत शैक्षिणिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रमशः प्रोविजनल व अंतिम अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा प्रति वर्ष राजकीय कोष में अग्निशामक यंत्र का निरीक्षण परीक्षण कराते हुए निरीक्षण परीक्षण शुल्क जमा कराकर भवन में पर्याप्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करे।

विषय अति महत्वपूर्ण राष्ट्रहित एवं जनहित में है अतएव आप का व्यक्तिगत ध्यान आपेक्षित है।

18/04/19

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
बलिया

प्रतिलिपि-

1. श्रीमान जिलाधिकारी,बलिया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक ,बलिया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

जे0एन0सी0यू0 / आर0कैम्प(सा0प्र0) / 343 / 2019 — दिनांकः 18 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. माननीय कुलपति जी
2. वित्त अधिकारी
3. प्रबन्ध / प्राचार्य, सम्बद्ध समस्त अनुदानित, राजकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की अपने महाविद्यालय परिसर के भवनों को अग्निशमन विभाग, बलिया से एन0ओ0सी0 प्राप्त करते हुये, दो सप्ताह के अन्दर एन0ओ0सी0 की मूल प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा कि स्थिति में सम्बद्धता सम्बन्धी पत्रावलीयों का निस्तारण नही किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण हेतु अग्निशमन की बेबसाइट www.upfireservice.gov.in पर पर देखा जा सकता है।

(संजय कुमार)
कुलसचिव

Scanned with CamScanner